2nd SSR-2018-1

ई–मेल / डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः प.3(3)(1)रोल / निर्वा / **2**nd SSR-2018 / 2018 / 2913 जयपुर, दिनांक 22/5/18

प्रेषक : **मुख्य निर्वाचन अधिकारी,**
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : **समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी**
(कलक्टर्स) राजस्थान ।

विषय : अर्हता दिनांक 01.01.2018 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम – पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व विभिन्न प्रारम्भिक कार्य करने बाबत

प्रसंग : आयोग का पत्र क्रमांक 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/ 2018 दिनांक 07 मई, 2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 07 मई, 2018 **(प्रति संलग्न)** द्वारा संदर्भ तिथि 01.01.2018 के संदर्भ में राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने हेतु कार्यक्रम घोषित किया गया है। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूचियों का **प्रारूप प्रकाशन दिनांक 31.07.2018 (मंगलवार)** को किया जायेगा तथा मतदाता सूचियों का **अंतिम प्रकाशन 27 सितम्बर, 2018 (गुरूवार)** को किया जायेगा।

2. संदर्भ तिथि 01.01.2018 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस अवधि के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की तिथियॉं निम्न प्रकार से है :–

1.	मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन	31 जुलाई, 2018 (मंगलवार)
2.	दावे एवं आपत्तियॉं प्राप्त करने की अवधि	31 जुलाई, 2018 (मंगलवार) से 21 अगस्त, 2018 (मंगलवार)
3.	मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्रामसभा / स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर पठन करना एवं सत्यापन करना	11 अगस्त, 2018 (शनिवार) एवं 18 अगस्त, 2018 (शनिवार)
4.	राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्त्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथियां	12 अगस्त, 2018 (रविवार) एवं 19 अगस्त, 2018 (रविवार)
5.	दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण	20 सितम्बर, 2018 (गुरूवार) से पूर्व
6.	डेटाबेस अपडेट करना, फोटोग्राफ मर्ज करना, कन्ट्रोल टेबलस् को अपडेट करना एवं पूरक (Supplements) की तैयारी एवं मुद्रण	26 सितम्बर, 2018 (बुधवार) से पूर्व
7.	मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन	27 सितम्बर, 2018 (गुरूवार)

3. इस वर्ष के अन्त में माह नवम्बर–दिसम्बर, 2018 में होने वाले आम चुनाव के परिपेक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता दिनांक 01.01.2018 के संदर्भ में पुनः एक बार द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन से पूर्व Pre Revision Activities के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियॉ आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। इसी अवधि में दिनांक 1 जून, 2018 से 15 जून, 2018 के मध्य बूथ लेवल अधिकारी घर–घर जाकर सत्यापन का कार्य करेंगे तथा दिनांक 21 जून, 2018 से दिनांक 20 जुलाई, 2018 के मध्य मतदान केन्द्रों का सत्यापन एवं पुर्नगठन का कार्य किया जाना है। चूँकि अभी वर्तमान में घर–घर सत्यापन की कार्यवाही की जानी है, इस सम्बन्ध में दिशानिर्देश निम्न प्रकार से हैं –

3.1. विभाग द्वारा अर्हता दिनांक 01.01.2018 के क्रम में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यवाही के अंतर्गत दिनांक 22 जनवरी, 2018 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया है। इसके पश्चात् माह फरवरी–मार्च, 2018 में **"सबल अभियान"** के दौरान लगभग 4.50 लाख नए मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। इन अभियानों में मृत/स्थानान्तरित एवं दोहरी प्रविष्टियों को भी विहित प्रक्रिया के अनुसार 1.81 लाख नाम हटाये गये हैं। अभियान के दौरान विशेष रूप से विशेष योग्यजनों के नाम भी मतदाता सूची में जोड़े गए हैं अथवा पूर्व से पंजीकृत विशेष योग्य जनों का सर्वे कर भागवार सूची तैयार की गई है।

3.2. इसके अतिरिक्त **"सबल अभियान"** के दौरान एवं गत पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर–घर सम्पर्क कर अर्हता दिनांक 01.01.2018 को पात्र व्यक्तियों से मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने हेतु फार्म प्राप्त कर नाम मतदाता सूची में जोड़े गये हैं साथ ही अर्हता दिनांक 01.01.2019 के क्रम में पात्र युवाओं से (Prospective Voters) से आवेदन पत्र प्राप्त किये गये हैं। उक्त अग्रिम रूप से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र निश्चित रूप से संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय अथवा बीएलओ के पास सुरक्षित रखे गये हैं। कृपया इसकी संख्या का आंकलन कर लिया जाये तथा विधानसभा क्षेत्रवार इस प्रकार के कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं इसकी सूचना दिनांक 01 जून, 2018 तक Google Drive पर अपडेट की जाये।

3.3. राज्य के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा गत पुनरीक्षण अभियान के दौरान मृत/अनुपस्थित/स्थानान्तरित मतदाताओं को चिन्हित करते हुए इनके नाम विहित प्रक्रिया के अनुसार मतदाता सूचियो से हटाये गये हैं। इसी प्रकार से **"सबल अभियान"** के दौरान कार्यवाही की गई है। इस विषय में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक ऑडिट टीम का गठन कर जॉच करवायी गई है, जिसमें कुछ

स्थानों पर अल्प आयु के मतदाता, मृत मतदाता एवं अनुपस्थित/स्थानान्तरित मतदाता अभी भी मतदाता सूची में उपलब्ध हैं। इस विषय में कार्यवाही करने हेतु गत विडियो कॉफ्रेंसिंग के दौरान निर्देश दिये गये हैं। तद्नुसार सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही की गई है, फिर भी यह सम्भव है कि मतदाता सूची में इस प्रकार की प्रविष्टियॉ विद्यमान हों, जिन्हें द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारूप प्रकाशन की तिथि से पूर्व हटाया जाना है।

सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सबल अभियान के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का ERO Net पर शतःप्रतिशत रूप से निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। इसके बाद यह सुविधा बन्द कर दी जाएगी।

3.4. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता दिनांक 01.01.2018 के क्रम में मतदाता सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व विभिन्न Pre Revision Activities सम्पादित करने के निर्देश दिये हैं। इस विषय में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की सुविधा हेतु इन गतिविधियों को निम्न प्रकार से सूचीबद्ध किया जाता है।

क्र. सं.	**गतिविधि**	**समयावधि**
1.	सबल अभियान के अन्तर्गत प्राप्त सभी लम्बित आवेदन पत्रों की डेटा एन्ट्री, ERO Net पर निस्तारण एवं ERMS Database में सभी प्रपत्रों को सम्मिलित करना।	28 मई, 2018
2.	अर्हता दिनांक 01.01.2018 के क्रम में मतदाता सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची की चैकलिस्ट का मुद्रण एवं आवश्यकतानुसार Manually मतदाता की शिफ्टिंग यदि आवश्यक हो तो किया जाना। इस दौरान पूरक सूची–2 के पीडीएफ फाईल के मुद्रण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसी अवधि में प्रथम 7 दिनों में यदि किसी प्रकार की शिफ्टिंग की जानी है तो वह की जा सकेगी।	14 जून, 2018 से 30 जून, 2018 के मध्य
3.	मतदान केन्द्रों का ऑनलाईन युक्तिकरण। नोटः दिनांक 1 जुलाई, 2018 को एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची की चैकलिस्ट का प्रिन्ट प्राप्त कर मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण के प्रस्ताव तैयार किये जायेंगे। मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण के प्रस्ताव विधिवत् प्रक्रिया के अनुसार आयोग की स्वीकृति हेतु विभाग को प्रेषित किये जायेंगे।	1 जुलाई, 2018 से 15 जुलाई, 2018 के मध्य
4.	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों की सूची के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची, 2018 – ऑनलाईन मुद्रण हेतु उपलब्धता	दिनांक 16 जुलाई, 2018 से
5.	पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु आवश्यक प्रतियों को तैयार करना	दिनांक 30 जुलाई, 2018

4. कृपया भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 07 मई 2018 के पैरा 5 का अवलोकन करें। आयोग ने अर्हता दिनांक 01.01.2018 के सन्दर्भ में मतदाता सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन से पूर्व "Pre Revision Activities" से पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों को दिनांक 1 मई, 2018 से 15 मई, 2018 के मध्य घर–घर जाकर सत्यापन की कार्रवाही करने के निर्देश दिये हैं। बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा दिनांक 1 जून, 2018 से 15 जून, 2018 के मध्य घर–घर जाकर सत्यापन की कार्रवाही की जानी है। इस विषय में निम्न प्रकार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

4.1 राज्य में प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बूथ लेवल अधिकारी दिनांक **1 जून, 2018 से 15 जून, 2018** के मध्य घर–घर जाकर सत्यापन की कार्यवाही करेंगे। इस कार्यवाही के अन्तर्गत उनके द्वारा निम्न कार्य किये जायेंगे।

(1) अर्हता दिनांक 01.01.2018 के क्रम में ऐसे पात्र व्यक्ति जिनका मतदाता सूची में अभी तक पंजीकरण नहीं किया गया है उनसे निर्धारित प्ररूप में आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे।

(2) दिनांक 01.01.2019 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले भावी मतदाताओं से प्रारूप 6 में आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे ताकि विधानसभा आम चुनाव के बाद अर्हता दिनांक 01.01.2019 के क्रम में मतदाताओं सूचियों के विशेष संक्षिप्त कार्यक्रम से पूर्व ही बूथ लेवल अधिकारी/निर्वाचक रजिस्टर्ड अधिकारी के पास अग्रिम रूप से आवेदन पत्र उपलब्ध रहे।

(3) घर–घर सत्यापन की कार्यवाही के दौरान मतदाताओं सूचियों में बहु प्रविष्टियों वाले मतदाताओं/मृत मतदाताओं/स्थायी रूप से स्थानान्तरित मतदाताओं को चिन्हित करना।

बिन्दु संख्या 2 व 3 के अनुसार सत्यापन की कार्यवाही के पश्चात बूथ लेवल अधिकारी द्वारा भागवार पृथक–पृथक सूची तैयार कर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाई जायेगी।

(4) मतदाता सूचियों में मतदाताओ की प्रविष्टियों में विद्यमान त्रुटियों को चिन्हित कर इसकी रिपोर्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रस्तुत करें।

(5) मतदाता सूचियों में पात्र विशेष योग्यजनों का नाम पंजीकरण हेतु विशेषरूप से प्रयास किया जायेगा।

उक्त समस्त सूचना भी सत्यापन की कार्यवाही के बाद Google Drive पर दिनांक 22 जून, 2018 तक अपडेट की जाये।

4.2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सत्यापन की कार्यवाही बूथ लेवल अधिकारियों को उनसे संबंधित भाग की मतदाता सूचियों की मय पूरक सूचियों के प्रति एवं विभिन्न आवेदन पत्र समय पर उपलब्ध करवाऐंगे ताकि सत्यापन की कार्यवाही के दौरान यथास्थिति आवेदन पत्र भरवाये जा सकें तथा प्रविष्टियों की जांच की जा सके।

4.3. सत्यापन की कार्यवाही के दौरान मृत/स्थायी रूप से स्थानान्तरित मतदाताओं के क्रम में प्रारूप 7 में आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे ताकि संबधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आयोग के निर्देशानुसार ऐसे मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित करने के विषय में नियमानुसार कार्यवाही कर सकें।

5. **मतदाता सूचियों के कम्प्यूटरीकरण एवं मुद्रण हेतु जिला स्तर पर निविदाएं आमंत्रित करना–** इस विषय में कृपया विभाग के प्रासंगिक पत्र क्रमांक 2549 दिनांक 30.04.2018 का अवलोकन करें। आगामी पुनरीक्षण कार्यक्रम, विधानसभा आम चुनाव, लोक सभा आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूचियों के कम्प्यूटरीकरण एवं मुद्रण हेतु जिला स्तर पर निविदाएं आमंत्रित करने के निर्देश दिये गये हैं। कृपया उपरोक्त दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना की जाना सुनिश्चित की जाये तथा इस विषय में की गई कार्यवाही से 30 मई 2018 तक विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जायें।

कृपया उपरोक्त दिशानिर्देशों की अक्षरसः पालना की जाना सुनिश्चित की जाये तथा इस विषय में की गई कार्यवाही से 31 मई 2018 तक विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

6. **घर–घर सत्यापन की कार्यवाही एवं द्वितीय विशेष पुनरीक्षण कार्यकम के दौरान प्रयुक्त किये जाने वाले विभिन्न आवेदन पत्रों की आपूर्ति** – मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यकम के दौरान विभिन्न आवेदन पत्र यथा 6, 6क, 7, 8 एवं 8क, फार्म नम्बर 9, 10, 11 एवं 11ए आदि का मुद्रण विगत दो वर्ष से जिला स्तर पर करवाया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध है कि वे घर–घर सत्यापन की कार्यवाही एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रयुक्त किये जाने वाले आवेदन पत्रों का मुद्रण जिला स्तर पर करवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह कार्य आवश्यक रूप से दिनांक 31 मई, 2018 तक पूर्ण कर लिया जाये।

7. **बीएलओ एवं सुपरवाइजर्स के रिक्त पदों की पूर्ति –** भारत निर्वाचन आयोग के PGRS Portal पर सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर नियुक्त बीएलओ/सुपरवाईजर्स की सूची अविलम्ब अपलोड की जावे। जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से चर्चा कर यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त सूचना निर्धारित दिनांक तक अपलोड कर दी गयी है। इस विषय में किसी प्रकार की

लापरवाही अपेक्षित नहीं है क्योंकि पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सूचनाएं SMS के माध्यम से बीएलओ/सुपरवाईजर्स को दी जाएगी, जिसके अनुसार उनको कार्य करने होगें। अतः उक्त सूचना आवश्यक रूप से शुद्ध एवं सही सूचना उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी संबधित जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की होगी।

इस विषय में यह भी उल्लेखनीय है कि बीएलओ के कार्य का प्रभावी पर्यवेक्षण करने हेतु सुपरवाईजर की व्यवस्था गत वर्ष से प्रारम्भ की गयी है जिसे प्रभावी रूप से कियाशील किया जाना है। आगामी सत्यापन की कार्यवाही एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम में सुपरवाइजर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उनके अधीन आने वाले सभी मतदान केन्द्रों पर प्राप्त होने वाले विभिन्न आवेदन पत्रों को नियमित रूप से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध करवाना होगा, ताकि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ERO-NET/ERMS पर यथास्थिति इनको नियमानुसार निस्तारण कर उक्त आवेदन पत्रों का Status नियमित रूप से अपलोड करवा सकें।

यह कार्य आवश्यक रूप से दिनांक 31 मई, 2018 तक पूर्ण कर लिया जाये।

8. **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सुपरवाईजर्स/बीएलओ का प्रशिक्षण** – भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस इस वर्ष आयोजित किये जाने वाले इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार के नये कार्य सम्पादित करने होगें। इस हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बीएलओ/सुपरवाईजर्स एवं जिले के मास्टर ट्रेनर्स को सघन रूप से प्रशिक्षत किया जाएगा। प्रशिक्षण का कार्यक्रम के विषय में आपको अवगत करवा दिया गया है। **अतः विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।**

9. **स्वीप कार्यक्रम** – भारत निर्वाचन आयोग ने इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक जिले की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर स्वीप कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए है। जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध है कि प्रपत्र 1–8 में मतदाता सूचियों के आंकड़ों का विश्लेषण करवाकर ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करें जहां कि इस पुनरीक्षण कार्यक्रम में विशेष प्रयास किये जाने है। इसके अतिरिक्त जिलों का स्वीप कार्यक्रम तैयार करते समय विभिन्न सरकारी विभागों, एनजीओ, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की जिला इकाई, बैंक आदि का सहयोग लिया जाकर स्वीप कार्य योजना तैयार की जावे। **जिलों की स्वीप कार्य योजना आवश्यक रूप से दिनांक 20 जून 2018 तक विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।**

10. **रिक्त पदों की सूचना** – जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध है कि यदि जिले में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पद रिक्त है तो इसकी

सूचना अविलम्ब विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि संबंधित विभागों से अनुरोध कर रिक्त पदों की यथाशीघ्र पूर्ति करवाई जा सके।

11. **कार्यक्रम की राजनैतिक दलों को जानकारी देना** – संदर्भ तिथि 01.01.2018 के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित द्वितीय विशेष संक्षिप्त कार्यक्रम की जानकारी जिले में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को आवश्यक रूप से दी जाए। इस क्रम में उनके साथ जिला एवं ERO स्तर पर एक बैठक आयोजित कर उन्हें यथाशीघ्र प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए बीएलए नियुक्त करने का अनुरोध करें तथा घर–घर सत्यापन तथा पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान उनके सक्रिय सहयोग हेतु उन्हें आग्रह किया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही निर्धारित समय में की जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(डॉ0 रेखा गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प.3(3)(1)रोल/निर्वा/2nd SSR-2018/2018/ 2913 **जयपुर, दिनांक** 22/5/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त (रोल पर्यवेक्षक) राजस्थान।
2. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त अधिकारी गण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.) को विभागीय वेबसाईट पर कार्यक्रम अपलोड करने बाबत्।
5. सांख्यिकी शाखा/भण्डार शाखा एवं लेखा शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।